प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 42 सन 2021

अनवान :–

1. सुरेश कुमार पुत्र नोंरगलाल जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री मांगीलाल देहडु अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :–

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 218 / 210 की कुल 2.5290हैक भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी के पिता नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण नोंरगराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम नोंरगलाल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी के पिता नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम नोंरगलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने निवेदन किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 218 / 210 की कुल 2.5290हैक भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है।

जिसमें प्रार्थी के पिता नोंरगराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम नोंरगलाल है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा भी प्रार्थी के नाम की तस्दीक की गई है ।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम नोरगलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 218 / 210 की कुल 2.5290हैक भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम नोंरगराम दर्ज के स्थान पर नोरगलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जा[illegible] प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की [illegible] दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान [illegible] – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:19:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट गोरखाना

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर।

विषय :– प्रकरण संख्या 42 / 2020 अनवानी नोरगलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. सुरेश कुमार पुत्र नोरगलाल जाति मेधवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 218 / 210 की कुल 2.5290हैक भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम नोंरगराम दर्ज के स्थान पर नोरगलाल संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट गोरखाना

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:19:52 IST
Reason: SelfAttested